राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–4/1) विभाग

अति–आवश्यक

क्रमांकःप.9(6)कार्मिक/क–4/2019 जयपुरः दिनांक 28-12-2022

परिपत्र

विषयः– सिविल लिस्ट में हिस्ट्री ऑफ सर्विस को अद्यतन कराने बाबत।

कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सिविल लिस्ट विभाग की वेबसाईट पर संधारित की जाती है। उक्त सिविल लिस्ट का अद्यतन कार्मिक विभाग द्वारा निरन्तर किया जाता रहा है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सिविल लिस्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि कई अधिकारियों की हिस्ट्री ऑफ सर्विस अपडेट नहीं है, उसमें कई कॉलम रिक्त है। उक्त संबंध में पूर्व में भी विभागीय पत्र दिनांक 02.04.2019,

09.05.2019 एवं 29.07.2019 के द्वारा समस्त आरएएस अधिकारियों को हिस्ट्री ऑफ सर्विस अद्यतन कराये जाने के संबंध में निम्नांकित सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था:–

क्र.सं.	विवरण	
1.	स्वंय की पासपोर्ट साईज की फोटो	
2.	सेवाविवरण की प्रविष्टियों को दुरस्त किये जाने से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज	
	(क) पूर्व पद की कार्यमुक्त रिपोर्ट	(ख) नवीन पद की कार्यग्रहण रिपोर्ट
3.	अद्यतन मोबाईल नम्बर/ईमेल आईडी	
4.	वर्तमान पते एवं स्थाई पते की सूचना	

अतः समस्त अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध स्वंय की हिस्ट्री ऑफ सर्विस का अवलोकन कर रिक्त एंव दुरस्त कराये जाने वाले कॉलम से संबंधित सेवाविवरण की प्रतियॉ (उपरोक्तानुसार) विभाग की मेल आई–डी **itcell.dop@rajasthan.gov.in** पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। जिन अधिकारियों की सूचना अप्राप्त होगी, उनके संस्थापन संबंधी समस्त कार्य विचाराधीन रखे जावेंगे। इसके लिए अधिकारी स्वंय जिम्मेदार होंगे।

(देवेन्द्र कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रेषितः
समस्त अधिकारीगण राजस्थान प्रशासनिक सेवा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
2. समस्त प्रकरण सहायकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त क्रम में आरएएस अधिकारियों द्वारा हिस्ट्री ऑफ सर्विस अद्यतन करने हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण कर अद्यतन संबंधी कार्यवाही करावें एवं संबधित विभागीय अधिकारी इसकी पालना सुनिश्चित करें।

Signature valid
Digitally signed by Devendra Kumar
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2022.12.28 19:32:42 IST
Reason: Approved